XIV-Form No. 563.

आदेश की संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता पूर्णियाँ

बासगीत वाद संख्या–87/2005

धारा 21 B.P.P.H.T. Act. अन्तर्गत

मो0 इस्लामउद्दीन, पिता–स्व0 शेख नूर मुहम्मद, सा0–मुगलाहा (पोठिया), थाना–के0नगर, जिला–पूर्णियाँ

———आवेदक

बनाम

1. रियाज खान
2. सिराज खान
3. समीम खान
4. इलियास खान
5. इब्राहिम खान

सभी के पिता–स्व0 सेबित खान

सभी का सा0–मुगलाहा (पोठिया), थाना–के0नगर, जिला–पूर्णियाँ

———विपक्षी

आ दे श

आवेदक अंचल पदाधिकारी के0नगर द्वारा बासगीत पर्चा वाद सं0 88/82–83 में पारित आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण वाद प्रारंभ किया था और दिनांक 09.02.10 को इस न्यायालय द्वारा वाद को खारिज करते हुए पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No-17287/2010 दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03.11 को पारित आदेश द्वारा इस न्यायालय से दिनांक 09.02.10 को पारित आदेश को रद्द करते हुए पुनः वाद की सुनवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में आवेदक इस न्यायालय से पुनः वाद की सुनवाई करने का अनुरोध करता है।

आवेदक का कथन है कि खेसरा सं0 1933, रकवा 7 डि0 जमीन के खतियानी मालिक उनके पूर्वज थे तथा खेसरा सं0 1929, रकवा 7½ डि0 जमीन आवेदक रजिस्टर्ड केवाला द्वारा दिनांक 13.01.79 को खरीदा है। दोनों खेसरा का सीमा एक ही है और आवेदक का घर एवं बाड़ी–झाड़ी उपरोक्त जमीन पर हैं। विपक्षी के पिता ने खाता सं0 146, खेसरा सं0 1929 एवं 1933 रकवा 3 डि0 जमीन का बासगीत पर्चा गलत तरीके से बनवा लिया। उल्लेखनीय है कि विपक्षी के आवेदन एवं निर्गत पर्चा में पर्चा वाली जमीन की चौहदी एवं सीमा को अंकित नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि विपक्षी का दखल प्रश्नगत जमीन पर नहीं है। पर्चा में दोनों खेसरा की जमीन को एक हीं खाता सं0 146 में दर्शाया गया है जबकि खेसरा सं0 1929, खाता सं0 325 एंव खेसरा सं0 1933 खाता सं0 146 के अन्तर्गत है। विपक्षी का अपना घर खाता सं0 354, खेसरा सं0 1934 एवं 1935 में स्थित है। इसके अतिरिक्त विपक्षी के पिता के नाम से कुल 8 एकड़ 85 डि0 जमीन खाता सं0 354 में कुल 15 खेसरा में है। अतः आवेदक इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि वाद की सुनवाई कर नियम के अनुकूल आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

विपक्षी का कथन है कि उनके पिता के नाम से खेसरा सं0 1929 एवं 1933 के अन्तर्गत 3 डि0 जमीन का पर्चा निर्गत हुआ है और आवंटित भूमि के दक्षिण में

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

खेसरा सं0 1935, खाता सं0 146 है। विपक्षी प्रश्रय प्राप्त रैयत है और अंचल पदाधिकारी द्वारा सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर पर्चा निर्गत किया गया है। आवेदक ने अपने आवेदन में कही भी निम्न न्यायालय के आदेश की तिथि अंकित नहीं किया है। आवेदक को पूर्व में ही बासगीत पर्चा की जानकारी थी फिर भी निर्धारित समय सीमा के अन्दर पुनरीक्षण वाद दायर नहीं किया। आवेदक ने अपने आवेदन में लिखा है कि विपक्षी के पिता के नाम से 8 एकड़ 85 डि0 जमीन हैं। उक्त जमीन में कई हिस्सेदार है और मुस्लिम विधि के अनुसार प्रत्येक भाई को 27 डि0 जमीन ही प्राप्त होता है। अतः विपक्षी इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर ने प्रतिवेदित किया है कि पर्चाधारी का घर अपने जमीन खाता सं0 354, खेसरा सं0 1935 एवं 1934 में स्थित है। पर्चा वाली जमीन पर आवेदक का घर एवं बासबाड़ी है। आवेदक के पास वहाँ और दूसरा जमीन नहीं है। जबकि विपक्षी को बगल में प्रचुर भूमि उपलब्ध हैं। अतः पर्चाधारी पर्चा वाली जमीन पाने का अधिकार नहीं हैं। इस हेतु निर्गत पर्चा रद्द किया जा सकता हैं।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 24.02.2012 को उभय पक्षों को सुना गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय में पारित आदेश के आलोक में यह वाद इस न्यायालय में चल रहा है। विद्वान भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सदर से प्रापत प्रतिवेदन में पर्चावाली जमीन पर आवेदक का स्पष्ट रूप से घर एवं बांसवाड़ी होने एवं दखल–कब्जा की बात प्रमाणित है, इसलिये निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आवेदन में लिखी बातों को दोहराया गया।

पुनः दिनांक 25.05.2012 को अभिलेख सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं उभय पक्षों को सुनने के बाद यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में उपलब्ध कराये गये पर्चा से संबंधित जमीन पर वास्तविक रूप से आवेदक का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है। यह बात विद्वान भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सदर के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है। इस परिप्रेक्ष्य में अंचलाधिकारी, के0नगर द्वारा पारित आदेश एवं निर्गत वासगीत पर्चा को खारिज किया जाता है। अंचलाधिकारी, के0नगर को आदेश दिया जाता है कि वास्तविक दखल–कब्जा के आधार पर दाखिल–खारिज करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस निर्णय के साथ वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

30/5

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

30/5

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ